विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / रा.श. / 2026 / 423 रायपुर, दिनांक 11 FEB 2026

प्रति,

1. श्रीमति रूपा बाई साहू,
   पता – चंगोराभाठा, आयोध्या नगर,
   ओम प्रोविजन स्टोर गली, प्रिया फैंसी स्टोर के पास,
   जिला – रायपुर (छ.ग.)

2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम),
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 02 / रायपुर / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर(शहर) द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (नगर) वृत्त–एक, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– अतिरिक्त प्रदत्त विभागीय छुट की वसूली निवारण बाबत् ।

प्रकरण क्रमांक/02/रायपुर/2026

श्रीमति रूपा बाई साहू, ...आवेदिका

पता – चंगोराभाठा, आयोध्या नगर,

ओम प्रोविजन स्टोर गली, प्रिया फैंसी स्टोर के पास,

जिला – रायपुर (छ.ग.)

मो.नं. 88715–63791

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 11/02/2026 को घोषित)

1. आवेदिका श्रीमति रूपा बाई साहू द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 12.01.2026 यह है कि "मैं रूपा बाई साहू मेरा बी.पी.नंबर 1002031778 है, मेरे बिल में 21590 रू0 का अतिरिक्त चार्ज जोड़ा गया था, जिसकी ज़ानकारी लेने में दिनांक 17.12.2025 को चंगोराभाठा जोन गई तथा मुझे उसी दिन दिनांक 17.12.2025 को चंगोराभाठा जोन से एक नोटिस दिया गया जिसमें बताया गया है कि मैं कंपनी की सेवा में रहते हुए बिजली बिल में 50% की छुट का लाभ लेते हुए दिनांक 01.05.2020 से कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हुई हूँ किन्तु वर्तमान दिनांक तक चंगोराभाठा जोन अंतर्गत बी.पी.क्रमांक 1002031778 में 25% की जगह की 50% छुट ले रही हूँ । इसलिए दिनांक 01.05.2020 से बिल माह अक्टूबर 25 तक लिए गए 25% अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि रू0 21590/– को आपके बी.पी.क्रमांक 1002031778 से वसूली योग्य है । इस राशि का 7 दिवस के अंदर भुगतान करें अन्यथा आपके बी.पी.क्रमांक 1002031778 में संयोजित कर वसूली किया जावेगा ।"

"मेरे द्वारा अनेक पत्र के माध्यम से चंगोराभाठा जोन के सहायक यंत्री न.सं.प. छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर को अवगत कराया गया कि मैं पावर कंपनी में कर्मचारी या अधिकारी नहीं हूँ और न ही सेवा निवृत्त हूँ । मेरे द्वारा

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

यह मकान दिनांक 12.01.2022 को श्री चंद्रशेखर वर्मा से क्रय किया था जो कि पावर कंपनी के कर्मचारी थे । मकान क्रय करने के पश्चात् ही मैने चंगोराभाठा जोन को अवगत कराते हुए नाम ट्रांसफर का आवेदन भी दिया था । अतः नाम बदलाव के बाद मिल रही विभागीय छुट समाप्त हो जानी चाहिए थी और साथ ही सामान्य छुट राज्य शासन के द्वारा दी गई 400 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना के तहत दी जानी चाहिये थी जो कि कार्यालय की त्रुटि के कारण नहीं किया गया ।"

"अतः निवेदन है कि चंगोराभाठा जोन सहायक यंत्री न.सं.प. छ.स्टे.पा. डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर के द्वारा मेरे बी.पी.क्रमांक 1002031778 में वर्तमान स्थिति में 21590 रू. की वसूली लगायी गई है जो कि 01.05.2020 से अक्टूबर 2025 तक 50% छूट दिये जाने के कारण लगाई गयी है इस कारण इस वसूली के उपरांत एक अन्य वसूली जिसमें पावर कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी न होने के कारण मेरे बी.पी.क्रमांक 1002031778 में 0% छूट दी जायेगी जिसकी वसूली भविष्य में की जावेगी । अतः आपसे अनुरोध है कि मई 2020 से जनवरी 2022 तक की वसूली चंद्रशेखर वर्मा से की जाये और फरवरी 2020 से दिसम्बर 2025 तक मेरे बी.पी.क्रमांक 1002031778 में सामान्य छ.ग. राज्य शासन के द्वारा प्राप्त छूट दी जावे इस छूट के उपरांत यदि कोई राशि वसूली योग्य है तो मैं वह देने हेतु सहमत हूँ । किन्तु सहायक यंत्री न.सं.प. छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर के द्वारा मेरे अनुरोध को मान्य नहीं किया गया और साथ ही मुझे सम्पूर्ण राशि देय करने के लिये बाध्य किया गया जो कि न्याय संगत नहीं है कृपया मेरी समस्या का समाधान करने की कृपा करें ।"

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि सहायक अभियंता चंगोराभाठा, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 111 दिनांक 22.01.2026 को सूचित किया है कि :–

"आवेदिका श्रीमती रूपा बाई साहू के नाम पर वर्तमान में दर्ज है एवं श्रीमती रूपा बाई साहू द्वारा विद्युत कंपनी का कर्मचारी नहीं होने की सूचना दिनांक 19.12.2025 को प्रदान करने के पश्चात इस बी.पी.नं. 1002031778 में टैरिफ LV1DL1SR25 पर माह दिसंबर 2025 का बिलिंग किया गया है एवं नवंबर 2025 में बी.पी.नं. 1002031778 में टैरिफ LV1DL1RE25 तथा माह अगस्त 2025 तक LV1DL1BD25 टैरिफ के अनुसार बिलिंग किया जा रहा था । अवगत है कि यह टैरिफ कैटेगरी (LV1DL1BD25) केवल विभागीय

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

कर्मचारी जो कंपनी के सेवा में है उन्ही के लिए लागू होता है पूर्व में इस कनेक्शन का उपयोग श्री चन्द्रशेखर वर्मा विभागीय कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था और उनके द्वारा कंपनी के कार्य से सेवानिवृत्त के पश्चात् भी बी.पी.नं. 1002031778 पर 50% विभागीय छूट का लाभ लिया जा रहा था और उनके द्वारा अपने बिजली बिल में विभागीय छूट को 25% करने अथवा समाप्त करने हेतु कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अपने मकान को विक्रय करते समय भी कोई जानकारी प्रदान किया गया है और केवल अपने कनेक्शन का नामांतरण किया गया और इस निरंतरता में विभागीय छूट की राशि का लाभ श्रीमती रूपा बाई साहू को प्राप्त हुआ है इनके द्वारा भी विभागीय छूट समाप्त करने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया । विभागीय कर्मचारी नहीं होने के पश्चात् भी विभागीय छूट प्राप्त करना न्याय संगत नहीं है । चूँकि वर्तमान उपभोक्ता श्रीमती रूपा बाई साहू है अतः बी.पी.नं. 100203177 पर प्रदाय किया गया 50% छूट की राशि रू0 21590/– श्रीमती रूपा बाई साहू से वसूली योग्य है ।"

"बिन्दु क्रमांक–1 यह कि वर्तमान में श्रीमती रूपा बाई साहू की टैरिफ केटेगरी टैरिफ LV1DL1BD25 से LV1DL1SR25 परिवर्तित हो चुका है । अतः छ.ग. शासन द्वारा प्रदाय की जा रही बिजली बिल में छूट प्रदाय किया जा रहा है ।"

"बिन्दु क्रमांक–2 यह कि मई 2020 से जनवरी 2022 तक की वसूली श्री चन्द्रशेखर वर्मा से किया जाना साध्य नहीं है, विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 10.16 एवं 10.22(बी) के अनुपालन में वर्तमान उपभोक्ता एवं भू–स्वामी रूपा बाई साहू से ही वसूली किया जा रहा है ।"

"बिन्दु क्रमांक–3 यह कि फरवरी 2022 से दिसंबर 2025 के मध्य बी.पी.नं. 1002031778 पर टैरिफ LV1DL1BD25 के अनुसार बिल किया गया है । अतः छ.ग. शासन द्वारा प्रदान किया गया छूट इस टैरिफ केटेगरी पर लागू नहीं होता है ।"

"बिन्दु क्रमांक–4 यह कि आवेदिका श्रीमती रूपा बाई साहू द्वारा जोन कार्यालय में उपस्थित होकर बी.पी.नं. 1002031778 पर विभागीय छूट पर निकाली गई राशि रू0 21590/– का भुगतान करने हेतु अपनी मौखिक सहमति प्रदान किया गया एवं और उनके मांग पर किस्त में भुगतान की सुविधा

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

प्रदान की गई और उनके द्वारा दिनांक 23.12.2025 को राशि रू0 6000/– एवं 19.01.2026 को रू0 6000/– की राशि का भुगतान किया गया है ।"

"अतः माननीय फोरम से निवेदन है इस प्रकरण को निरस्त करते हुए शेष राशि का भुगतान करने हेतु आदेशित करें ।"

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 30.01..2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसाार है :–

3. आवेदिका के अनुसार वह अयोध्या नगर, चंगोराभाठा रायपुर की निवासी है एवं उसके परिसर में उसके स्वयं के नाम पर घरेलू श्रेणी का, 960 वाट भार का स्थायी विद्युत कनेक्शन बी.पी.कमांक 1002031778 के माध्यम से स्थापित है । पूर्व में यह कनेक्शन चंद्रशेखर वर्मा, विभागीय कर्मचारी के नाम पर प्रदायित था । जनवरी 2021 में आवेदिका द्वारा यह मकान चंद्रशेखर वर्मा, विभागीय कर्मचारी से कय किया जाकर विद्युत कनेक्शन को अपने स्वयं के नाम पर परिवर्तित कराया गया था । माह नवंबर 2025 में उत्तरवादी द्वारा राशि 21590.00 आवेदिका के देयक में जोड़कर प्रेषित कर दी गयी । उत्तरवादी द्वारा आवेदिका को प्रेषित नोटिस दिनांक 17.12.2025 के अनुसार सेवानिवृत्त विभागीय कर्मचारी होने के बाद भी आवेदिका द्वारा विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की विभागीय छूट ली जां रही है जबकि सेवानिवृत्ति पश्चात 25 प्रतिशत छूट लिया जाना था । छूट के रूप में ली गयी 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि की गणना करते हुए राशि 21590.00 देयक में जोड़कर प्रेषित की गयी है ।

आवेदिका के अनुसार न तो वह विभागीय कर्मचारी है और न ही उसके द्वारा विभागीय छूट के लिए कभी आवेदन किया गया है । कनेक्शन का पूर्व उपभोक्ता विभागीय कर्मचारी था, कनेक्शन का नाम परिवर्तन होने के बाद विभाग द्वारा देयक में प्रदान की जा रही विभागीय छूट खत्म कर दी जानी थी जो कि नहीं की गयी । उत्तरवादी की इस कार्यवाही के कारण उसे राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली बिजली बिल हाफ योजना की छूट भी नहीं मिल सकी है । भविष्य में उत्तरवादी द्वारा उसे दी गयी, 25 प्रतिशत छूट की राशि की गणना कर उससे पुनः वसूली की जाएगी । मकान कय किए जाने से पूर्व की अवधि के लिए विभागीय लापरवाही से प्रदान की गयी विभागीय छूट की राशि वसूल किए जाने की उत्तरवादी की इस कार्यवाही को आवेदिका द्वारा अनुचित बताया गया है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

4. यह कि परिसर के पूर्व स्वामी, विभागीय कर्मचारी को दी गयी अतिरिक्त विभागीय छूट की राशि आवेदिका से वसूल किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर, मकान कय एवं तद्नुसार नाम परिवर्तन किए जाने से पूर्व की वसूली योग्य राशि तत्समय के उपभोक्ता से वसूल किए जाने एवं मकान कय किए जाने के बाद की अवधि की वसूली योग्य राशि को शासन की बिजली बिल हाफ योजना के तहत मिलने वाली छूट से समायोजित करते हुए अंतर राशि मात्र की वसूली किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित करने के निवेदन के साथ आवेदिका द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रस्तुत किया गया है ।

5. उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 111 दिनांक 22.01.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदिका के नाम पर स्थापित विद्युत कनेक्शन की बिलिंग माह अगस्त 2025 तक टैरिफ दर श्रेणी LV1DL1BD25 के अनुसार की जा रही थी । माह नवंबर 2025 की बिलिंग टैरिफ दर श्रेणी LV1DL1RE25 से की गयी एवं माह दिसंबर से बिलिंग टैरिफ दर श्रेणी LV1DL1SR25 के अनुसार की जा रही है । पूर्व में इस कनेक्शन का उपयोग चंद्रशेखर वर्मा विभागीय कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा था जिनके द्वारा विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद भी 50 प्रतिशत विभागीय छूट का लाभ प्राप्त किया जा रहा था एवं मकान विक्रय करते समय भी विभागीय छूट को समाप्त करने के संबंध में विभाग को जानकारी प्रदान नहीं की गयी । जानकारी के अभाव में विभागीय छूट की राशि आवेदिका को भी प्राप्त होती रही । चूंकि विभागीय कर्मचारी न होते हुए भी आवेदिका द्वारा विभागीय छूट प्राप्त की गयी है, अतः 50 प्रतिशत छूट की राशि आवेदिका से वसूली योग्य है । उत्तरवादी के अनुसार विभागीय कर्मचारी की दर श्रेणी में बिलिंग किए जाने के कारण शासन की बिजली बिल हाफ योजना की छूट लागू नहीं होती है ।

6. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या पूर्व उपभोक्ता, विभागीय कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पश्चात उत्तरवादी द्वारा दी गयी अतिरिक्त विभागीय छूट के विरूद्ध निकाली गयी, नाम परिवर्तन के पूर्व की अवधि की वसूली योग्य राशि का भुगतान आवेदिका की जिम्मेदारी है ।

ब. यदि विद्युत कनेक्शन के नाम परिवर्तन पश्चात की अवधि के लिए आवेदिका को नियम विरूद्ध दी गयी विभागीय छूट की राशि वसूल करना

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

उत्तरवादी का अधिकार है तो क्या उक्त अवधि के लिए शासन की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ प्राप्त करना आवेदिका का अधिकार नहीं है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

7. यह कि दिनांक 30.01.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि माह नवंबर 2025 के मासिक विद्युत देयक में उत्तरवादी द्वारा 21590.00 रू. की अतिरिक्त राशि जोड़कर प्रेषित कर दी गयी । उत्तरवादी द्वारा प्रेषित नोटिस में उसे सेवानिवृत्त विभागीय कर्मचारी बताया गया है जबकि वह कभी भी विभागीय कर्मचारी नहीं रही है । आवेदिका के अनुसार उसके द्वारा माह जनवरी 2021 में जिस व्यक्ति से मकान क्रय किया गया था वह विभाग का कर्मचारी था जिसे विभाग द्वारा विभागीय छूट प्रदान की जा रही थी । पूर्व उपभोक्ता के वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा उसे 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती रही । आवेदिका के अनुसार माह जनवरी 2021 में उसके द्वारा पूर्व उपभोक्ता से मकान क्रय करते हुए नियमानुसार उत्तरवादी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्युत कनेक्शन अपने स्वयं के नाम पर परिवर्तित करा लिया गया । उत्तरवादी द्वारा देयक में प्रदान की जाने वाली विभागीय छूट के संबंध में उसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है । मकान क्रय किए जाने से पूर्व की अवधि के लिए निकाली गयी वसूली योग्य राशि की वसूली संबंधित विभागीय कर्मचारी से किया जाना उचित होगा ।

उत्तरवादी के अनुसार पूर्व उपभोक्ता एवं विभागीय कर्मचारी द्वारा अपने मकान को विक्रय किए जाने के समय संबंधित कनेक्शन में दी जा रही विभागीय छूट को खत्म करने के संबंध में कोई जानकारी विभाग को नहीं दी गयी । वर्तमान उपभोक्ता द्वारा भी, देयक के माध्यम से प्राप्त की जा रही विभागीय छूट को समाप्त करने के बारे में विभाग को सूचित नहीं किया गया एवं विभागीय छूट का लाभ प्राप्त किया जाता रहा । आवेदिका वर्तमान उपभोक्ता है एवं पूर्व की अवधि की समस्त वसूली योग्य राशि का भुगतान उसकी जिम्मेदारी है ।

यद्यपि फोरम यह मानता है कि पूर्व उपभोक्ता के सेवानिवृत्त होने एवं आवेदिका द्वारा मकान क्रय एवं नाम परिवर्तन कराए जाने के बाद भी लगातार 50 प्रतिशत विभागीय दिए जाने के लिए उपभोक्ता से अधिक उत्तरवादी जिम्मेदार है । विद्युत कनेक्शन के उपयोग के आधार पर सही टैरिफ दर श्रेणी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

तय क्रते हुए बिलिंग करना उत्तरवादी की जिम्मेदारी है जिसके निर्वहन में उत्तरवादी द्वारा चूक किया जाना दर्शित होता है ।

8. यह किं उत्तरवादी द्वारा अपने जवाबदावा में यह लेख किया गया है कि मई 2020 से जनवरी 2022 तक की वसूली पूर्व उपभोक्ता चंद्रशेखर वर्मा से किया जाना साध्य नहीं है । फोरम उत्तरवादी के इस लेख से सहमत नहीं है । पूर्व उपभोक्ता एक सेवानिवृत्त विभागीय कर्मचारी है एवं सेवानिवृत्ति पश्चात भी विभागीय पेंशन के माध्यम से उसके विभाग से जुडे रहने में कोई संदेह नहीं है ऐसी स्थिति में यदि माह जनवरी 2022 तक की अवधि में विद्युत कनेक्शन का उपयोग उसके स्वयं के द्वारा ही किया जाने का दस्तावेजी प्रमाण है तो उस अवधि के लिए निकाली गयी वसूली योग्य राशि के लिए आवेदिका को जिम्मेदार ठहराया जाना अनुचित होगा ।

9. यह कि उत्तरवादी द्वारा अपने जवाबदावा में विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 10.16 एवं 10.22(बी) का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए वसूली योग्य समस्त राशि की वसूली वर्तमान उपभोक्ता से किए जाने की अपनी कार्यवाही को सही ठहराया है । अवगत हो कि विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 10.16 यथा "Responsibility of legal heir" के अनुसार किसी उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उसका कानूनी उत्तराधिकारी उपभोक्ता की बकाया राशि के भुगतान का उत्तरदायी होगा । इसी प्रकार विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 10.22(बी) यथा "the licensee is entitled to recover old electricity dues in respect of a permanent disconnected connection of a consumer, from other existing electricity connection of same consumer within its area of supply" के अनुसार किसी स्थायी रूप से विच्छेदित कनेक्शन की बकाया राशि की वसूली, उपभोक्ता के ही नाम पर प्रदायित किसी अन्य चालू कनेक्शन से की जा सकती है ।

फोरम के अनुसार उक्त दोनों कंडिकाओं में वास्तविक उपभोक्ता के उपलब्ध न होने (उपभोक्ता की मृत्यु अथवा उसके संबंध में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं होने) की स्थिति में बकाया राशि की वसूली के विकल्पों की बात की गयी है, जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होता । प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व उपभोक्ता विभागीय कर्मचारी होने के कारण विभाग के निरंतर संपर्क में है अतः आवेदिका द्वारा मकान क्रय किए जाने के पूर्व की अवधि के लिए निकाली

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (शहर)

गयी -वसूली योग्य राशि को पूर्व उपभोक्ता से ही वसूल किया जाना सही एवं नियमानुसार होगा ।

10. यह कि फोरम के समक्ष आवेदिका द्वारा कथन किया गया कि एक ओर तो उत्तरावादी द्वारा विद्युत देयकों में प्रदायित विभागीय छूट की वसूली की जा रही है दूसरी ओर मकान क्रय करने के बाद की अवधि में शासन द्वारा सामान्य श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली बिल हाफ योजना की छूट से भी वंचित रखते हुए उस पर दोहरा आर्थिक भार डाला जा रहा है । यदि पूर्व अवधि मे दी गयी नियम विरूद्ध विभागीय छूट की राशि को वसूल करना उत्तरवादी का अधिकार है तो उसे भी शासन की बिजली बिल हाफ योजना की छूट प्राप्त करने का अधिकार है । उत्तरवादी द्वारा एक पक्षीय तरीके से अपने अधिकार का उपयोग किया जा रहा है जो कि अनुचित है ।

उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि बिजली बिल हाफ योजना राज्य शासन की योजना है जिसके लिए राशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाती है । पूर्व की उस अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत छूट राशि का दावा शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, आवेदिका को छूट का लाभ दिया जाना संभव नहीं है ।

फोरम का यह मानना है कि आवेदिका को पात्रतानुसार बिजली बिल हाफ योजना का लाभ न देते हुए, पूर्व अवधि की बकाया राशि को वसूल करने के अपने अधिकार पर ही जोर देने का उत्तरवादी का यह कथन न्यायसंगत नहीं है ।

11. यह कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन, पूर्व उपभोक्ता एवं सेवानिवृत्त विभागीय कर्मचारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति पश्चात विद्युत कनेक्शन का उपयोग किए जाने तक की अवधि (मई 2020 से जनवरी 2022) के लिए निकाली गयी वसूली योग्य राशि (50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत छूट की अंतर राशि) पूर्व उपभोक्ता, जो कि विभाग का पेंशनधारी होने के कारण सहज उपलब्ध है, से ही वसूल किया जाना न्यायसंगत होगा ।

12. यह कि फोरम, उत्तरवादी को यह निर्देशित करता है कि आवेदिका व्दारा उक्त मकान क्रय करते हुए विद्युत कनेक्शन का उपयोग किए जाते रहने (माह फरवरी 2022 से माह नवंबर 2025) तक की अवधि के लिए आवेदिका को नियम विरूद्ध प्रदायित एवं वसूली योग्य 50 प्रतिशत विभागीय छूट का समायोजन उक्त अवधि के लिए शासन द्वारा सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

दी जाने वाली बिजली बिल हाफ योजना की छूट के साथ करते हुए अंतर राशि का संशोधित मांग पत्र आवेदिका को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे । एतद् कृत कार्यवाही के उपरांत आदेश का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट 30 दिवस के अंदर फोरम कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

13. आदेश पारित ।

14. प्रकरण निराकृत ।

15. अनावेदक पालन प्रतिवेदन 30 दिवसों के अन्दर देवें ।

16. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया । | निर्णय घोषित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर